3/8/15

वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण व उप-एवं

प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र पेश कर, जाति सिद्धि प्रमाण चाहते एवं नया प्रार्थना-पत्र पेश करने की अनुमति चाही प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली तलब की गई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी द्वारा उपस्थित, पत्रावली नहीं मंगाने पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र जाति सिद्धि प्रमाण बिना प्राप्त ही तथा नया प्रार्थना-पत्र पेश करने की अनुमति दिये बिना ही खारिज कर, केवल होकर लौटाया जाता है।

दिनांक उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़ सिटी (नागौर)

बनिता
गोरधनराम
Id by
माणक-लाल